Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two Year.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with eight years regular service in the grade including in the Non-Functional Grade of level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix and having successfully completed training of two to four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already competed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; Additional Secretary or Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member; Joint Director, Central Bureau of Investigation – Member; DIG or Deputy Director (Administration), Central Bureau of Investigation – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - Additional Secretary or joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Chairperson; Joint Director, Central Bureau of Investigation – Member; DIG or Deputy Director (Administration), Central Bureau of Investigation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 213/4/2023-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक) भर्ती नियम, 2001 (ii) केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद भर्ती नियम, 2004 (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (समूह "क" पद) भर्ती नियम 2004 और (iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, (निदेशक, केंद्रीय औषधि परीक्षण और प्रयोगशाला, चेन्नई) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई में निदेशक, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, निदेशक, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई (समूह “क” और “ख” पद) भर्ती नियम 2024 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना –** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पदों की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1. निदेशक।	1* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100- 215900 रु) ।
चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	**(10)**
लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था स्वायत्त निकाय या क़ानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा प्रदान की गई हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित यथाविहित आवश्यक या वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और

अनुभव :

(ii) औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में बारह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु) में विभागीय ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हैं के नाम पर भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	**13**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक	1* (2024)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11

अधिकारी ।	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	"क", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	(67700- 208700 रु) ।

(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	संयुक्त पद्दति: प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक निविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या क़ानूनी संगठन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित यथाविहित आवश्यक या वांछनीय शैक्षणिक अर्हताये और अनुभव हों,-

आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री।

अनुभव: औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसन्धान में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु) में विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हैं के नाम पर भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है । यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	**13**
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. वैज्ञानिक अधिकारी ।	1* (2024) कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100- 177500 रु) ।

	परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय ।	

(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(9)	(10)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)

प्रोन्नति :

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900 - 142400) में ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा , अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल जो भी कम हो से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने पहले ही ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है,

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा प्रदान की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष सेवा प्रदान की हो; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित यथाविहित आवश्यक या वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

(i) : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री।

(ii) : औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसन्धान में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	**13**
समूह “क”, विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य। समूह "क", विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य; 3. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	2* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400) ।

(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीँ होता ।	लागू नहीँ होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा ।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400) में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल जो भी कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या क़ानूनी संगठन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित यथाविहित आवश्यक या वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री; और

अनुभव :

औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसन्धान में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य; 3. निदेशक, केन्द्रीय औषधि परिक्षण प्रयोगशाला , चेन्नई - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	4* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु) ।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष से अनधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या औषध भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीँ होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर

	टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300) या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हों

(11)	12	13
लागू नहीं होता ।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य; 3. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस]

बिकाश आर महातो, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th September, 2024

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Central Drugs Testing Laboratory, Chennai (Junior Scientific Assistant) Recruitment Rules, 2001, (ii) the Central Drugs Testing Laboratory, Chennai, Senior Scientific Assistant, Recruitment Rules, 2004, (iii) the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2004, and (iv) the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, (Director, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant in the Central Drugs Testing Laboratory, Chennai, Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Director, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai, (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Said Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Director.	1* (2024) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 13 (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Composite method: by deputation (including short-term contract) or	Deputation (including short term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or university or recognised	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

promotion.	research institutions or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisation:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the essential or desirable educational qualification and experience prescribed as under: **Essential:** Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. **Experience:** Twelve years experience in drugs testing and standardisation and research. **Desirable:** Doctorate in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. Note 1.- The departmental Senior Scientific Officer in the level 11 (Rs. 67700 - 208700) in the pay matrix with ten years regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of		

	the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Scientific Officer.	1* (2024) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Composite method: by deputation (including short term contract) or promotion.	Deputation (including short term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or university or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisation:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis level 10 (Rs. 56100 -177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the essential or desirable educational qualification and experience prescribed as under: **Essential:** Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. **Experience:** Five years experience in drugs	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	testing and standardisation and research. **Desirable:** Doctorate in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. **Note 1.-** The departmental Scientific Officer in level 10 (Rs. 56100 -177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.		

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3. Scientific Officer.	1* (2024) *Subject to variation depending onworkload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 (Rs. 56100-1,77,500).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**

Not applicable.		Not applicable.	Two years for promotee.
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
by promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Senior Scientific Assistant in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the relevant field. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of Central Government or State Governments or Union territories Administration:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with four years service rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) with five years service rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs.44900-142400) in	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman/Member UPSC (Chairman); 2. Additional Secretary /Joint Secretary, MoHFW (member); 3. Drugs Controller (India)/Joint Drugs Controller (India) (member). Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary /Joint Secretary, MoHFW (Chairperson); 2. Director, (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services, New Delhi (member); 3. Drugs Controller (India)/Joint Drugs Controller (India) (member).	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

	the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the essential or desirable educational qualification and experience prescribed as under: (i) masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognized University or Institute. (ii) three Years experience in drugs testing and standardization and research. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding Fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Scientific Assistant.	2* (2024) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Junior Scientific Assistant in level-6 (Rs.35400 112400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary or Joint	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or university or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisation:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 (Rs. 35400 - 112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department. (b) possessing the essential or desirable educational qualification and experience prescribed as under: **Essential:** Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. **Experience:** One year experience in drugs testing and standardisation and research. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare- Chairperson; 2. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India)- Member; 3. Director, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai- Member.	

	by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Junior Scientific Assistant.	4* (2024) *Subject to variation depending onworkload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 06 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
Qualification: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognized University or Institute.	Not applicable.	Two years for direct recruitee. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
by direct recruitment Note:	Not applicable.	Group 'B' Departmental	Consultation with Union Public

Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).		Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare (Chairperson); 2.Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services, New Delhi (member); 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India) (member).	Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/4/2020-DRS]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.09.25 16:03:20 +05'30'